|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **चेक लिस्ट संख्या 11 – स्वामी (कंपनी) के नाम में परिवर्तन**   | **क्रम संख्या** | **आवश्यकताएँ** | | --- | --- | | **1** | **स्वामी का अधिकृत व्यक्ति (कंपनी सचिव के पद से कम नहीं) को कंपनी के नाम में परिवर्तन के बारे में बिना देरी के रजिस्ट्रार (और यदि कोई गिरवी रखने वाले बैंक हों तो उन्हें भी) को सूचित करना चाहिए।** | | **2** | **कंपनी के नाम में परिवर्तन के संबंध में कंपनी सचिव या दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित मूल बोर्ड प्रस्ताव।** | | **3** | **कंपनी के संशोधित नाम के साथ समावेशन प्रमाणपत्र की प्रति।** | | **4** | **कंपनी के नाम परिवर्तन के संबंध में सभी गिरवी बैंकों से जहाजों के रजिस्ट्रार को संबोधित विशिष्ट "कोई आपत्ति नहीं" पत्र।** | | **5** | **कंपनी के स्वामित्व वाले सभी पोतों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र और रजिस्टर को अद्यतन करने हेतु अनुरोध।** | | **6** | **एमएमडी द्वारा प्रमाणित अंतिम कमांड परिवर्तन की प्रति और वर्तमान मास्टर CoC की प्रति।** | | **7** | **यह शपथ-पत्र कि नया परिवर्तित पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर मौजूदा पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने हेतु सौंप दिया जाएगा।** | | **8** | **₹1000/- की भारत कोष भुगतान रसीद।** |   **📌 रजिस्ट्रेशन परिवर्तन – अन्य संबंधित मुद्दे:**   | **क्रम संख्या** | **अतिरिक्त शर्तें** | | --- | --- | | **1** | **यदि हस्तांतरण दिवालियापन के कारण है, तो 'हस्तांतरण की घोषणा' के साथ उस दावे का उचित प्रमाण संलग्न करना होगा।** | | **2** | **यदि हस्तांतरण मृत्यु के कारण है, तो 'हस्तांतरण की घोषणा' के साथ उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, वसीयत की पुष्टि या 1925 के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रशासन पत्र या उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए।** | | **3** | **यदि ऐसे स्थानांतरण के कारण जहाज अब भारतीय जहाज नहीं रहता है, तो DG को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके, जैसे कि 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय का रुख करना आदि।** |   **टिप्पणी: चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न / संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और मुहरबंद होनी चाहिए। उपर्युक्त प्रमाणीकरण और मुहर के बिना, इस कार्यालय द्वारा कोई दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किया जाएगा।** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |